नाम अदालत :— उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा मुकाम तालेड़ा

दर्ज नम्बर :—

किस्म मुकदमा:—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली वांछित कार्यवाही हेतु दिनांक 9/10/25 को पेश हो।	
9/10/25	वकील प्रार्थी उप. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रमाणित किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

...मं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
...9/प्रा0पत्र/2024	20.11.2024	15.10.2025

रामचन्द्र मीणा उम्र 65 वर्ष आत्मज श्री मन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम चान्दनहेली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर. एक्ट.

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर. एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी की खातेदारी. अधिकार की कृषि भूमि खाता सख्या नया 113 पुराना 88 खसरा सख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 577/305 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593/330 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.4533 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहता है जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेडा से सीमाज्ञान करवाया। उक्त सीमाज्ञान से प्रार्थी संतुष्ट नही है क्योंकि प्रार्थी की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है इसलिए प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी तहसीलदार तालेडा से करवाई जाने बाबत आदेशित किया जाना न्यायाहित में अति अआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सख्या नया 113 पुराना 88 खसरा सख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 577/305 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593/330 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0. 4533 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0 की मौके पर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेडा को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से अनापति जाहिर की है। साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सख्या नया 113 पुराना 88 खसरा सख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 577/305 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593/330 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.4533 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान संवत 2076, सीमाज्ञान आदेश दिनांक 21.06.2024 की प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया और निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित भूमि के प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है व उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। हमारी भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी भूमि के पत्थरगढी का आदेश फरमाने की कृपा करे।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को प्रा0पत्र वर्णित आराजी का रेकार्डेड खातेदार होने से पत्थरगढी करवाने में अनापति जाहिर की।

...हस सूनी गई व बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्थरगढी ... भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार मे अंकित है प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं की ...रगढी करवाना चाहते है प्रार्थी को अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना कानून सम्मत व उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को 1000/- रू0 फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व प्रार्थी द्वारा नियमानुसार मौका कमिश्नर फीस व अन्य निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त खाता संख्या नया 113 पुराना 88 खसरा संख्या 320 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 577/305 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 593/330 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.4533 हैक्टेयर वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान संवत 2076 की पत्थरगढी मौके पर फसल व विवाद न होने की स्थिति पर प्रार्थी एवं समीपस्थ खातेदारान् की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है। किसी न्यायालय का स्थगन होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा